

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशोंक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/1517/2023 दि0 लखनऊ: 30 नवम्बर, 2023

-:: संशोधित आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशोंक 1406/2023 दिनांक 06-11-2023 के द्वारा बरेली में युगलपीठ का गठन दिनांक 04-12-2023 से 06-12-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर को नामित किया गया था।

सदस्य पीठ-2, कानपुर द्वारा व्यक्तिगत एवं आवश्यक कार्यवश उक्त अवधि में बरेली में गठित युगलपीठ में सम्मिलित होने में मौखित रूप से असमर्थता व्यक्त की गयी है। अतः उनके द्वारा उक्त युगलपीठ से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समस्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, कानपुर को उक्त युगलपीठ से मुक्त करते हुए, उनके स्थान पर उक्त अवधि में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, गाजियाबाद को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-28-11-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1517/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-2, कानपुर।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ- 2, गाजियाबाद।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ बरेली।
- 4- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) /विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी /नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।